International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण : सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में अध्ययन"

अमित बामनिया [1] , डॉ. संजू गाँधी [2]

1 अमित बामनिया, शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर, मध्य प्रदेश,

2 डॉ. संजू गाँधी, शोध निर्देशक, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान),प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.)

सारांश- ऐसा नही है कि भारत देश में प्रगति नही हो रही है वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के आगमन के साथ राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वद्धि नही हो रही है। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की भागदारी अगर बढ़ती है तो देश भी प्रगति की ओर जा सकता है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति महिलाएँ राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु उनके मतदान व्यवहार और राजनीतिक सहभागिता पर सीमित शोध उपलब्ध है। शोध का उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारक उनकी मतदान प्रवृत्तियों और राजनीतिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत लिंग समानता एवं न्यायसंगत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका योगदान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। यह शोध पत्र द्वितीयक डेटा के आधार पर अनुसूचित जनजाति महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का विश्लेषण करता है। शोध पत्र के लिए राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, सरकारी सर्वेक्षण और प्रकाशित शोध पत्रों का समावेश किया गया है। जनजातीय महिलाओं की मतदान भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में सकारात्मक वृद्धि हुई है किन्तु शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक निर्भरता और परंपरागत पितृसत्तात्मक ढाँचे जैसी चुनौतियाँ अब भी बाधक बनी हुई है। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर आरक्षण और महिला नेतृत्व के बढ़ते अवसरों ने उनके लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शोध पत्र नीति निर्माण और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

शब्द कुंजी - जनजातियाँ, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

➢ प्रस्तावना -

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है। लेकिन, अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं की मतदान भागीदारी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। अनुसूचित जनजाति महिलाएं भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी मतदान भागीदारी बहुत

कम है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना, और उनकी मतदान भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।इस शोध का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। इस शोध में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी के स्तर, उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों, और उनकी मतदान भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों का अध्ययन किया जाएगा।

➢ शोध के उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी का स्तर निर्धारित करना।

2. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों का अध्ययन करना।

4. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण का अध्ययन करना।

➢ शोध की प्रविधि

1. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ साक्षात्कार।

2. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के मतदान भागीदारी के आंकड़ों का विश्लेषण।

3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण के आंकड़ों का विश्लेषण।

4. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के मतदान भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों का अध्ययन।

जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा उनकी शैक्षणिक में जागरूकता के लिए महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं और बच्चे भविष्य की पूँजी है। आज लगभग पचास प्रतिशत जनसंख्या जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं की है

जबकि 42 प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से कम की हैं। जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण व शैक्षणिक विकास को सच्चे मायने में सर्व समावेशी होने के लिए इनकी सुरक्षा, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण और भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।

भारत सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और यह महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति संबंधी अभिसमय और बाल अधिकारों सबंधी अभिसमय समेत अनेक अतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है। फिर भी ग्यारहवी पचवर्षीय योजना के प्रारंभ में, महिलाएं, हिंसा, उपेक्षा और अन्याय के शिकार बने हुए हैं। ग्यारहवी योजना लिंग को एक अन्य मूल विषय के रूप में देखते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसमे महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। साथ ही, इसमें सभी आयु, समुदायों और आर्थिक समूहों के जीवित रह सकने, उनकी सुरक्षा और समय विकास को सुनिश्चित किया गया है।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक प्रकार के बहिष्कारों और भेदभावों को समाप्त करना प्रमुख लक्ष्य है, यह सुनिश्चित करना है कि देश की प्रत्येक महिला अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने में सक्षम हो और आर्थिक विकास और समृद्धि का लाभ उठा सकें। सफल भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण से महिलाओं का सशक्तिकरण होना जो स्वयं के विकास में भागीदार बनते हैं, अपनाने की हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। इसके लिए रूपरेखा राष्ट्रीय महिला नीति 2001 बनाई जा चुकी है।

सभी महिलाएं सजातीय श्रेणियों के नहीं है, ये विभिन्न जातियों, चर्मा, समुदायों, आर्थिक समूहों से संबधित्त होते है. और भौगोलिक और विकास क्षेत्रों के एक दायरे में रहते हैं, परिणाम स्वरूप कुछ समूह अन्य की अपेक्षा अधिक कमजोर होते हैं। मानचित्रण और इन बहुविविध स्थानों से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट कमियों को समाप्त करना नियोजित हस्तक्षेपों की सफलता के लिए आवश्यक है। सामान्य कार्यक्रमगत हस्तशेर्पा के अलावा इन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष लक्ष्य पूर्ण भी किए जाने पर बल दिया गया है।

आदिकालीन अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की जीविका पालन या जीवन धारणा से संबंधित है। जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना उनका वितरण तथा उपभोग करना ही उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार और लक्ष्य होता है और वे क्रियाएँ एक आदिम समाज की संपूर्ण पर्यावरण विशेषकर भौगोलिक पर्यावरण के द्वारा बहुत प्रभावित होती है इसीलिए जीवन यापन या जीवित रहने के साधनों को बिताने के लिए आदिन लोगों को कठोर परिश्रम करना पडता है आर्थिक जीवन अत्यधिक संघर्षमय तथा कठिन होने के कारण आर्थिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की भाँति, प्रगति की गति बहुत धीमी होती है।

संक्षेप में आदिकालीन अर्थव्यवस्था एक और प्रकृक्ति की शक्तियों और प्राकृतिक साधनों फल-फूल, पशु-पक्षी, पहाड़ और घाटी नदी तथा जंगलों आदि पर निर्भर है और दूसरी ओर परिवार से धनिष्ठ रूप से संयुक्त है। आदिकालीन मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामग्री से अपने उपकरणों का निर्माण करता है और उनकी सहायता से परिवार के सब लोग उदर पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते है। इस परिश्रम का जो फल उन्हें प्राप्त होता है, उससे आर्थिक आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों और साधनों के बीच केवल एक संतुलन स्थापित हो सकता है। धन को इकट्ठा करने या उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार प्राप्त करने और उनके बल पर दूसरी पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की बात शायद ही कोई सोचता हो। परिवार का आर्थिक स्वार्थ प्रायः सामूहिक स्वार्थ के साथ इतना अधिक घुलमिल जाता है कि इन दोनों को पृथक करना कठिन होता है।

जनजाति क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उपकरणों से लगाकर जमीन की विशेषताओं तक आँका जा सकता है। किसी के पास सबसे अधिक उपजाऊ जमीनें है तो किसी के पास नाम मात्र के लिए ही खेती का टुकड़ा उपलब्ध है। कोई ढलानी या पहाड़ी जमीन पर ही अपने अम को सार्थक करता दिखाई देता है तो कोई मैदानी काली मिट्टी में सर्वाधिक अन्न उपजाकर पटेल का खिताब अर्जित किए हुए हैं. जो खेती मुख्य व्यवसाय है और इसी के माध्यम से इनका जीवन निर्वाह भी हो रहा है ।

इसी तारतम्य में भारत में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवारलाल नेहरू जी 1958 में फारवर्ड वॉर्मन ऑफ इंडिया में लिखा था कि "फ्रास के किसी आदमी ने लिखा था कि किसी भी देश की स्थिति को देखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है. उस देश की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाना। मेरे विचार से यह ठीक है। भूतकाल के कई प्रसिद्ध उदाहरणों के बाद भी यह कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले वर्षों से महिलाओं की स्थति, कानूनी या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजनीतिक एवं मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रत्सन्नता है कि हमारी ससद ने भी हाल ही में कुछ विधान पारित किये हैं। जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बंधाधनों से मुक्ति दे दी है इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को अच्छा बनाने में मदद पहुंचाई है फिर भी अभी कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना है।" 1930 में महात्मा गांधीजी ने कहा था कि "महिलाओ को कमजोर कहना उनका अपमान है। पुरुषों के प्रति अन्याय है।"

➢ अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी की स्थिति

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी की स्थिति को समझने के लिए, हमें उनके मतदान भागीदारी के आंकड़े, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, और उनकी मतदान भागीदारी की चुनौतियों को देखना होगा।

1. 2019 के लोकसभा चुनाव में, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी 67.7% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 67.4% से अधिक है।
2. 2014 के लोकसभा चुनाव में, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी 65.5% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 66.4% से कम है।
3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां उनकी मतदान भागीदारी कम है।

- **मतदान भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक**

1. शिक्षा: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की शिक्षा का स्तर उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करता है।
2. आर्थिक स्थिति: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।
3. सामाजिक स्थिति: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।
4. राजनीतिक जागरूकता: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।

- **अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी की चुनौतियां**

1. शिक्षा की कमी: अनुसूचित जनजाति महिलाओं में शिक्षा की कमी उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।
2. आर्थिक असमानता: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की आर्थिक असमानता उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।
3. सामाजिक असमानता: अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक असमानता उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करती है।
4. अनुसूचित जनजाति महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, जो उनकी मतदान भागीदारी को प्रभावित करता है।

➢ अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण से उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद मिलती है। यह उन्हें अपने समुदाय के विकास में भाग लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने में मदद करता है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण से सामाजिक और आर्थिक विकास में सुधार होता है।

- **अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण के आंकड़े**

1. 2019 में, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व 9.4% था, जो कि राष्ट्रीय औसत 14.4% से कम है।
2. 2014 में, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व 8.8% था, जो कि राष्ट्रीय औसत 12.2% से कम है।
3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लोकतंत्र सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां उनका प्रतिनिधित्व कम है।

➢ अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के बीच संबंध

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के बीच एक मजबूत संबंध है। उनकी मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करती है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी मतदान भागीदारी उन्हें अपने समुदाय के विकास में भाग लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने में मदद करती है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करती है।

- **अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी का लोकतंत्र सशक्तिकरण पर प्रभाव**

1. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
2. उनकी मतदान भागीदारी उन्हें अपने समुदाय के विकास में भाग लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने में मदद करती है।
3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को मजबूत करती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करती है।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के बीच एक मजबूत संबंध है। उनकी मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करती है। इसलिए, अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना आवश्यक है।

➢ निष्कर्ष

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के बीच एक मजबूत संबंध है। उनकी मतदान भागीदारी उनके लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करती है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, और सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के लिए सिफारिशें

1. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।
2. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने चाहिए।

3. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
5. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करने चाहिए।
6. अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सामुदायिक विकास के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।
7. अनुसूचित जनजाति महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। उनकी शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से उनकी मतदान भागीदारी और लोकतंत्र सशक्तिकरण में सुधार हो सकता है।

➢ संदर्भ सूची –

1. अनुसूचित जनजाति आयोग (2020)। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की स्थिति। दिल्ली: अनुसूचित जनजाति आयोग।
2. संजय सिंह, दलित और शिक्षा ओमेगा पब्लि. नई दिल्ली. पृष्ठ 2
3. शर्मा ब्रह्मदेव, आदिवासी स्वशासन प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली. पृ.24
4. श्रीवास्तव आर.एन., सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि म.प्र. हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ.स. 261, 63
5. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन* (2018)। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की मतदान भागीदारी। दिल्ली: एनएसएसओ। पृ.18
6. बघेल डी.एस. एवं किरण अनुसंधान पद्धतिशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ. 510
7. अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय* (2019)। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए योजनाएं। दिल्ली: अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय।
8. चौबे रमेश सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविध हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पू.स. 232
9. सिंह एस.डी. वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण के मूलतत्व कमल प्रकाशन दिल्ली पू. सं 28
10. सच्चिदानंद सेल्फ गवर्नेंस कार ट्राइबल (वाल्यूम 1-6) एन.आई. आर. डी. हेदराबाद पृ. 16, 23
11. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (2019)। अनुसूचित जनजाति महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। दिल्ली: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च।